



पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश संख्या- 156/2021

सहायक कार्मिक अधिकारी-11के टिप्पणी संख्या-का/227/एस एस/सीजी/प्रशिक्षण/सोन/19 दिनांक 23.02.2021 के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी जो महाप्रबंधक /कार्मिक/हाजीपुर के पत्र संख्या-ECR-HQ OPERS(CG) 55/2020-Dy. CPO/HQ/ECR दिनांक 30.07.2020 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर माल गार्ड, वेतनमान-5200-2020 +जीपी 2800 लेवल -5 के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित है तथा माल गार्ड हेतु निर्धारित मेडिकल श्रेणी A-2 में फिट घोषित है एवं वरिष्ठ प्राचार्य, क्षेत्रिय रेल प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फरपुर के पत्र संख्या T/327/21/Guard(I/P) दिनांक 15.02.2021 द्वारा माल गार्ड के लिये प्रारंभिक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने के उपरांत माल गार्ड, वेतनमान-5200-2020 +जीपी 2800 लेवल -5 , मैट्रिक्स- 29,200 -92,300 वेतन 29,200 के पद पर देय वेतन एवं समय समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते पर अस्थाई रूप से नियुक्त कर उनके नाम के सामने लिखे स्टेशन पर पदस्थापित किया जाता है ।

क.सं	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/समुदाय एवं नियुक्ति का स्रोत	जन्मतिथि/ मेडिकल श्रेणी	पदस्थापित स्टेशन	फोटो	हस्ताक्षर का अंगूठे का निशान	नमूना/
01	रोहित कुमार पुत्र-स्व0 विजय कुमार सिंह समुदाय-UR नियुक्ति का स्रोत- अनुकम्पा	18.09.1985 A-1	माल गार्ड बरौनी	X	Requiti	
02	प्रशांत कुमार सिंह पुत्र-स्व0 प्रकाश सिंह समुदाय-UR नियुक्ति का स्रोत- अनुकम्पा	01.07.1998 A-2	माल गार्ड बरौनी	X	Prashant K Singh	

कुल दो नाम मात्र ।

उपर्युक्त अभ्यर्थी ग्रुप-सी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू नियमों से शासित होंगे । इनकी नियमित नियुक्ति कार्यभार ग्रहण की तिथि से मानी जाएगी । भविष्य में रेल सेवा में बने रहना इनके द्वारा दिये गये अभिलेखों के सत्यापन एवं पुलिस द्वारा चारित्रिक जांच में अनुकूल रहने की शर्त पर निर्भर करेगा। यदि जांच रपट प्रतिकूल पाया गया तो इनकी सेवा विना किसी सूचना दिये समाप्त कर दी जाएगी। नियुक्ति के पश्चात कम से कम पांच वर्षों तक रेल सेवा करने में असमर्थ रहते है या हटना चाहते है तो प्रशिक्षण के दौरान प्रशासन द्वारा किये गये खर्च एवं दिए गए वृत्तिका प्रशासन को लौटाना होगा।

15/02/2021
कार्मिक अधिकारी

वेबसे बोर्ड के पत्रांक ई.एन.डी. 1/11/2003/पी.एफ/01/24 दिनांक 04.02.01 के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि दिनांक 24.11.2020 से वेब-कॉन्फ्रेंस के द्वारा ऑनक सेवा प्रदान की जाएगी।

प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति वेब-कॉन्फ्रेंस के द्वारा की जाएगी। दिनांक 31.12.2020 को वसन्तपुर कार्यालय मोनपुर में तथा 01.01.2021 से 17.02.2021 तक लाईन प्रशिक्षण में रहे हैं। प्रशिक्षण अवधि की तिथि 18.02.2021 से 22.02.2021 तक वसन्तपुर कार्यालय में प्रतीक्षारत रहे हैं, जो प्रशिक्षण अवधि का विस्तार माना जाएगा, जिसके लिये उन्हें कुलका देय होगी। वे अभ्यर्थी भर्ती अनुभाग में दिनांक 23.02.2021 को एवं दिनांक 23.02.2021 से कार्यालय आदेश जारी होने तक इस कार्यालय में उपस्थित रहे हैं।

उपरोक्त अभ्यर्थी रेल परिषद के पत्र संख्या-एन/ई/1111/2003/पी.एफ/01/24 दिनांक 31.12.03 के अनुसार दिनांक 01.01.04 से लागू की पेंशन पत्रिका में शामिल होगी।

उपरोक्त एवं परन्तुपत्र आदेश वसन्तपुर मोनपुर द्वारा आदेशित है।

(मनोज कुमार)
(मनोज कुमार) दिनांक 08/03/21
मंडल परिचालन प्रबंधक
पु.म.रे मोनपुर

पत्रांक का 1111/2003/पी.एफ/01/24

दिनांक 08.03.2019

उपरोक्त विवरणों को सूचना एवं आदेशक कार्यालयी हेतु प्रेषित :

1. कार्यालयक बॉक्स, मोनपुर
2. कार्यालय, परिचालन मोनपुर
3. कार्यालय
4. कार्यालय
5. कार्यालय
6. कार्यालय
7. कार्यालय
8. कार्यालय
9. कार्यालय
10. कार्यालय

कु.रे मंडल रेल प्रबंधक/का/मोनपुर